UPRB010016262026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी-(अमित पाल सिंह), (एच जे एस)-UP05691

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-664/2026

1- चन्द्र पाल उम्र 47 वर्ष पुत्र सुन्दर लाल

2- फूलमती उम्र 43 वर्ष पत्नी चन्द्र पाल

समसत निवासीगण दरेहटा, थाना मौरांवा, जनपद उन्नाव।

3- बाबूलाल उम्र 45 वर्ष पुत्र कल्लू निवासी ग्राम चन्दन खेड़ा, थाना असोहा जनपद उन्नाव।

4- संतोष कुमार उम्र 36 वर्ष, पुत्र दुलारे निवासी ग्राम देवरिया मजर भरसंवा, थाना मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ

......प्रार्थी/अभियुक्तगण।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

......विपक्षी/अभियोगी।

18-03-2026

आवेदक/अभियुक्तगण **चन्द्रपाल, फूलमती, बाबूलाल** एवं **संतोष कुमार** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सम्बन्धित वाद संख्या-**8925/2023,** अपराध संख्या **83/2023,** अन्तर्गत धारा-**3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021,** थाना **गुरूबक्शगंज,** जिला **रायबरेली** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा सम्बन्धित थाने में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि- वादी दिनांक 13.2.2023 को ग्राम कोड़र मे घूमने हेतु गया था तो ग्राम कोड़र मे राकेश पुत्र पंचम ग्राम कोड़र व बनारसी पुत्र श्रीकेशन में चन्द्रपाल पुत्र सुन्दरलाल व श्रीमती फूलमती पत्नी चन्द्रपाल निवासीगण ग्राम दरेहटा थाना मौरांवा जनपद उन्नाव व बाबूलाल पुत्र कल्लू ग्राम चन्दनखेडा थाना असोहा जनपद उन्नाव व सन्तोष कुमार पुत्र दुलारे ग्राम देवरिया मजरे भरसवाँ थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ, जो कि इन व्यक्तियो द्वारा निरन्तर धर्म परिवर्तन करा रहा है और हिन्दू समाज को विघटित करने का षड्यन्त्र कर रहे है। और ईसाई की डायरी व माला बरामद हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त मामले की विवेचना की गयी। सम्पूर्ण साक्ष्य संकलन के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आवेदक-अभियुक्तगण गण के विरूद्ध सम्बन्धित न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है।

आवेदक-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण अभियुक्तगण निर्दोष है उन्हें प्रार्थी /अभियुक्त फूलमती के परिवार की भूमि विवाद की रंजिश को लेकर झूठा साजिशन फंसाया गया है। अभियुक्त फूलमती व चन्द्र पाल पति पत्नी है। अभियुक्त बाबू लाल चंद्रपाल की सगी मौसी के लड़के है और अभियुक्त संतोष कुमार बाबू लाल का मित्र है, बाबू लाल ग्राम चन्दन

खेडा में "पुष्पा " स्टूडियो चलते है और शादी विवाह आदि मौके पर वीडियो ग्राफी करते है अभियुक्त संतोष कुमार बाबू लाल के साथ वीडियो ग्राफी का काम करता है इसलिए जान पहचान व मित्रता है और एक दूसरे के घर आना जाना है । ग्राम कोडर संताव थाना गुरुबक्शगंज जनपद रायबरेली फूलमती का मायका है और अभियुक्त चन्द्रपाल की ससुराल है अभियुक्त फूलमती, चंद्रपाल, बाबू लाल एक ही जाति "लोधी "के है, अभियुक्त बाबू लाल अपनी पुत्री पुष्पा की शादी करने के लिए लडका देखने फूलमती की अगुवाई में उस के मायके ग्राम कोडर सतावं जनपद रायबरेली दिनांक 13.02.2023 को चन्द्रपाल व अपने मित्र संतोष कुमार को लेकर गया था हम सभी लोग फूलमती की माँ व उसके परिवार के साथ घर पर बैठ कर चाय नाश्ता कर रहे थे तब तक उसी गाँव के चार पांच लोग आ गये और पूर्व जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर कहने लगे यहा पर इतने लोग क्यों इकट्ठा है यंहा क्या हो रहा तो फूलमती की माँ ने कहा शादी ब्याह के लिए दिखवही सुनवही की बात चीत चल रही है तब तक वादी मुकदमा व् उसके साथ आये चार पांच लोगो ने बाबू लाल व संतोष कुमार से पूंछा तुम लोग कही बाहर के लगते है, क्या नाम है अपना आधार कार्ड दिखाओ किन्तु उस समय प्रार्थी संतोष कुमार व बाबू लाल के पास आधार कार्ड नहीं था जिस कारण वादी मुकदमा ने चिलाते हुए कहा यहा धर्म परिवर्तन चल रहा है प्रार्थी कहते रहे हम अपनी बेटी के लिए लडका देखने चंद्रपाल के साथ आये है किन्तु तब तक वादी मुकदमा ने हिन्दू संगठन के लोगो को फोन कर दिया और झूठी अफवाह फैला दी कि यहा धर्म परिवर्तन हो रहा है, तब तक मौके पर 20-25 लोग आ गये और प्रार्थीगण अभियुक्तगण को जबरन पकड़ कर थाना गुरुबक्शगंज ले गये और धारा 151 में चालान कर दिया गया । प्रार्थीगण अभियुक्तगण द्वारा किसी भी प्रकार का असंवैधानिक अथवा विधि विरुद्ध कार्य नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थीगण / अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई विशेष भूमिका नहीं बताई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है। कि किस ने किस व्यकित का धर्म बदल दिया है। प्रार्थीगण अभियुक्तगण के पास से किसी भी प्रकार का कोई विधि विरुद्ध सम्बन्धित वस्तु की बरामदगी नहीं हुई है, जो भी बरामदगी बताई गयी है वह फर्जी है। कथित अपराध अधिकतम सात वर्ष की अवधि तक के दण्ड से दंडनीय अपराध की श्रेणी में है। आवेदक-अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। आवेदक-अभियुक्तगण विश्वसनीय जमानत देने को तैयार है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगें। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तद्नुसार आवेदक-अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक-अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगणहै। आवेदक-अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

अभियोजन कथानक व प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा लिए गए बचावों के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा हिन्दू समाज को विघटित करने का षडयन्त्र करने व ईसाई धर्म में धर्म संपरिवर्तित कराये जाने का अभियोग है और उक्त अभियोजन कथानक मूलतः डायरी व माला बरामद होने पर आधारित है। विवेचक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र सम्बन्धित न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। तथा प्रार्थी/ अभियुक्तगण आत्मसमर्पण करने के उपरान्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत आवेदक-अभियुक्तगण की जमानत का आधार पर्याप्त है। तदानुसार उनके द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण **चन्द्रपाल, फूलमती, बाबूलाल**

एवं **संतोष कुमार** को वाद संख्या-**8925/2023,** अपराध संख्या **83/2023,** अन्तर्गत धारा- **3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021,** थाना **गुरूबक्शगंज,** जिला **रायबरेली** के मामले में, उनके द्वारा पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो-दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

1- यह कि आवेदक-अभियुक्तगण दौरान साक्ष्य साक्षी/साक्ष्य से छेड़खानी नही करेगें।

2- यह कि आवेदक-अभियुक्तगण इस आशय का वचन दाखिल करेगें कि अभियोजन साक्षी के उपस्थित होने पर साक्ष्य की तिथियों में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र योजित नहीं करेगें और यदि अभियुक्तगण के द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो सम्बन्धित न्यायालय उक्त स्थगन को वचन भंग मानते हुये जमानत का दुरूपयोग मानकर विधि अनुसार अभियुक्तगण की जमानत निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा।

3- यह कि आवेदक-अभियुक्तगण प्रत्येक परिस्थिति में सम्बन्धित परीक्षण न्यायालय में निम्न वर्णित स्तर पर सकारात्मक रूप से उपस्थित रहेगा-

I. परीक्षण प्रारम्भ होने के स्तर पर।

II. आरोप गठित होने की तिथि में।

III. बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० कलमदर्ज होने की तिथि में।

उपरोक्त तीनों स्तर पर यदि आवेदक-अभियुक्तगण की अनुपस्थिति बिना किसी युक्ति युक्त कारण के अथवा जानबूझ कर कारित पायी जाती है तब परीक्षण न्यायालय को उक्त अनुपस्थिति को जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुये विधि अनुसार जमानत निरस्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

चूँकि आवेदक/अभियुक्तगण की पूर्व में अन्तरिम जमानत स्वीकार की जा चुकी है, अतः आवेदक/अभियुक्त के द्वारा जमानतनामें एवं बन्धपत्र दाखिल करने के उपरान्त, उनके सत्यापन के अधीन सम्बन्धित न्यायालय जमानत पर रिहा कर सकती है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानतनामें एवं बन्धपत्र की सत्यापन आख्या प्रत्येक दशा में सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत की जायेगी, अन्यथा की स्थिति में उक्त आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(अमित पाल सिंह)
UP05691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
18-03-2026

Renu Srivastava
Stenographer

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.03.19 10:21:50 IST
Reason: Document Owner,order
Location: District and Sessions Court,Rebareli